

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
शुद्धि-पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- अ०स०क०-04-02-एम०-10/2016- 138, दिनांक- 08.06.2026
की कंडिका- 4 में अंकित BTC Form- 51 के स्थान पर BTC Form- 46 पढ़ा जाय।
2. स्वीकृत्यादेश की शेष कंडिका यथावत रहेगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- अ०स०क०-04-02-एम०-10/2016...../ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- अ०स०क०-04-02-एम०-10/2016...../ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- अ०स०क०-04-02-एम०-10/2016...../ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- अ०स०क०-04-02-एम०-10/2016...../ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- अ०स०क०-04-02-एम०-10/2016...../ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- अ०स०क०-04-02-एम०-10/2016...../ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

E-Mail ज्ञापांक:- अ०स०क०-04-02-एम०-10/2016...../ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

E-Mail ज्ञापांक:- अ०स०क०-04-02-एम०-10/2016...../ पटना, दिनांक.....

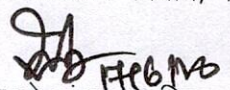
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, पं० दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- अ०स०क०-04-02-एम०-10/2016...../ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- आई० टी० प्रबंधक/प्रोग्रामर (पी०एम०जे०वि०के० कोषांग), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

इब्रार अहमद खाँ
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बीरचंद पटेल पथ
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 08/06/26

विषय:- प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एम०एस०डी०पी०) योजनान्तर्गत 129वीं प्राधिकृत समिति में भागलपुर जिला के भागलपुर एम० में स्वीकृत Const. of 100 bedded girl's hostel in TNB College के भवन निर्माण हेतु विशेष राज्यांश के रूप में ₹19.74706 लाख (उन्नीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ छः रुपये) मात्र की राशि आवंटन की स्वीकृति।

प्रसंग:- महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पत्रांक- 1360(अनु०), दिनांक- 08.04.2026

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एम०एस०डी०पी०) के अंतर्गत 129वीं प्राधिकृत समिति में भागलपुर जिला के भागलपुर एम० में Const. of 100 bedded girl's hostel in TNB College के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कार्यकारी एजेंसी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विधायकित योजना की स्वीकृति ₹171.14 लाख मात्र पर दी गयी है। विधायकित योजना निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक-25, दिनांक-11.05.2017, पत्रांक-34, दिनांक-15.05.2017 एवं पत्रांक-240, दिनांक-27.07.2023 द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किरत केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि तथा विभागीय पत्रांक-322, दिनांक-25.09.2024 द्वारा विशेष राज्यांश की राशि ₹144.20 लाख विमुक्त किया गया है।

02. कार्यकारी एजेंसी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पत्रांक- 1360(अनु०), दिनांक- 08.04.2026 द्वारा विधायकित परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष-2024-25 में आवंटित विशेष राज्यांश मद की कुल राशि ₹144.20 लाख (एक करोड़ चौवालीस लाख बीस हजार रुपये) मात्र में से ₹65.29071 लाख (पैंसठ लाख उनतीस हजार इकहत्तर रुपये) मात्र का व्यय एवं शेष राशि ₹78.90929 लाख (अठहत्तर लाख नब्बे हजार नौ सौ उनतीस रुपये) मात्र उक्त वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं होने के कारण राशि प्रत्यर्पित हो गयी है, की सूचना उपलब्ध कराते हुये वर्तमान में उक्त योजना में भुगतान हेतु प्राप्त विपत्र के आलोक में विशेष राज्यांश मद से ₹19.74706 लाख मात्र (उन्नीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ छः रुपये) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 11 में अंकित राशि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रुपये में)

जिला एवं प्रखण्ड	परियोजना का नाम	अनुपात	इकाई की संख्या	इकाई की लागत	निर्धारित केन्द्रांश की राशि	निर्धारित राज्यांश की राशि	द्वितीय पुनरीक्षण के उपरान्त परियोजना की कुल लागत राशि	विशेष राज्यांश के रूप में स्वीकृत अन्तर राशि	कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्राप्त विशेष राज्यांश में से प्रत्यर्पित की गयी राशि	प्रत्यर्पित की गयी राशि में से कार्यकारी एजेंसी की अधिदायकाके आलोक में आवंटित विशेष राज्यांश की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भागलपुर/ भागलपुर एम०	Const. of 100 bedded girl's hostel in TNB College	60:40	1	171.14	102.68	68.46	315.34	144.20	78.90929	19.74706
Total			1	171.14	102.68	68.46	315.34	144.20	78.90929	19.74706

03. उक्त राशि की निकासी मांग संख्या 30 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 051-निर्माण, उपशीर्ष 0308-अल्पसंख्यकों के लिये बहुक्षेत्रिक विकास कार्यक्रम-विशेष राज्यांश, विपत्र कोड- 30-4250000510308, विस्तृत शीर्ष 53- मुख्य निर्माण कार्य, विषय शीर्ष-01 मुख्य निर्माण कार्य पी०एफ०एम०एस० कोड- 3674 के अन्तर्गत उपबद्धित राशि से विशेष राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकल्पनीय है।

04. उक्तालोक में स्वीकृत विशेष राज्यांश मद में ₹19.74706 लाख की निकासी विभागीय उप सचिव-राह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

उक्त राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म-51 में विपत्र तैयार कर की जायेगी तत्पश्चात कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को उनके अपने पी०एल० खाता सं०- CFMS-PNBPLA007 (LEDGER ID- 4403) में जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार व्यय किया जायेगा।

05. कार्यकारी एजेंसी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा उक्त परियोजना का Geo-tagging कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

06. वित्त विभाग के पत्रांक-7355/वि० दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

क०पू०उ०

07. योजना अंतर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक 4989 वि० (2) दिनांक 16.05.2013 एवं अन्य अद्यतन परिपत्र/आदेश की सभी कंडिकाओं का अपेक्षित होगा।
08. योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अंतर्गत किया जायेगा एवं समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कर उपयोक्ता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।
09. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्त नियमावली के नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संकल्पों व परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. जिस परियोजना हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है, उसी कार्य में राशि व्यय किया जायेगा।
11. इस योजना की राशि की निकासी हेतु विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श संधिका संख्या-अ०सं०क०-04-02-एम०-10/2016 के पृ०-79/टि० पर प्राप्त है।
12. उपर्युक्त पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वरामभाजन

138

सरकार के अपर सचिव
पटना-15, दिनांक 08/06/16
कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा,ज्ञापांक:- पत्रांक-अ०सं०क०-04-02-एम०-10/2016 138 /
प्रतिलिपि:- उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

138

सरकार के अपर सचिव
पटना-15, दिनांक 08/06/16ज्ञापांक:- पत्रांक-अ०सं०क०-04-02-एम०-10/2016 138 /
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

138

सरकार के अपर सचिव
पटना-15, दिनांक 08/06/16ज्ञापांक:- पत्रांक-अ०सं०क०-04-02-एम०-10/2016 138 /
प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

138

सरकार के अपर सचिव
पटना-15, दिनांक 08/06/16ज्ञापांक:- पत्रांक-अ०सं०क०-04-02-एम०-10/2016 138 /
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

138

सरकार के अपर सचिव
पटना-15, दिनांक 08/06/16ज्ञापांक:- पत्रांक-अ०सं०क०-04-02-एम०-10/2016 138 /
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

138

सरकार के अपर सचिव
पटना-15, दिनांक 08/06/16E-Mail ज्ञापांक:- पत्रांक-अ०सं०क०-04-02-एम०-10/2016 138 /
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

138

सरकार के अपर सचिव
पटना-15, दिनांक 08/06/16E-Mail ज्ञापांक:- पत्रांक-अ०सं०क०-04-02-एम०-10/2016 138 /
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, पं० दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

138

सरकार के अपर सचिव
पटना-15, दिनांक 08/06/16ज्ञापांक:- पत्रांक-अ०सं०क०-04-02-एम०-10/2016 138 /
प्रतिलिपि:- आई० टी० प्रबंधक/प्रोग्रामर (पी०एम०जे०वि०के० कोषांग), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

138

सरकार के अपर सचिव